

चेक लिस्ट क्रमांक-26

प्रपत्र-3

**वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वनसंरक्षक/व.म.अ.
का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन**

1	परियोजना का नाम	सूरजपुर जिला अन्तर्गत 132 के.व्ही विद्युत पारेषण लाईन विश्रामपुर से परसा 80.40 कि.मी. के निर्माण हेतु 15.766 हे. राजस्व वनभूमि का प्रस्ताव।		
2	आवेदक/आवेदक का विभाग का नाम	कार्यपालन अभियन्ता अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.रा. वि. पारे. क. मर्यादित कोरबा छत्तीसगढ़		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	132 के.व्ही. डीसीएसएस विद्युत पारेषण लाईन ग्राम सतपता विश्रामपुर से परसा तक निर्माण हेत		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		सूरजपुर	सूरजपुर	विद्युत पारेषण लाइन विश्रामपुर से परसा
5	वनभूमि का विस्तृत विवरण	वन खंड	कक्ष क्रमांक/ख0क0	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल
	(क) आरक्षित वन	—	—	—
	(ख) सीमांकित संरक्षित वन	—	—	—
	योग :-			-
	(ग) असीमांकित संरक्षित वन	—	—	—
	(घ) राजस्व वन क्षेत्र	सूरजपुर	तेलैकछार,सलका पार्वतीपुर, उमेश्वरपुर, जयपुर,वृन्दावन, सरस्वतीपुर, शिवनगर	15.766
	योग :-			15.766
	कुलयोग :-			15.766
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	साल एवं मिश्रित वन घनत्व 0.1		
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	वृक्षों के गणना प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न प्रजातियों के 27 मीटर के चौड़ाई में कुल 654 वृक्ष स्थित है। विद्युत लाइन के निर्माण हेतु आवश्यक चौड़ाई 12 मीटर में विभिन्न प्रजातियों के कुल 384 वृक्ष स्थित है, जिनका विदोहन किया जाना आवश्यक होगा। वृक्षों का गणना प्रतिवेदन संलग्न है।		
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	नगण्य।		

9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू. डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	आवश्यक नहीं है।
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं है।
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्गकि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या	132 केव्ही विधुत लाइन निर्माण हेतु सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत राजस्व वन भूमि कुल 15.766 हे. का वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव छ.ग. राज्य विधुत पारेषण कंपनी मर्यादित कोरबा द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें।	नहीं

// प्रमाण-पत्र //

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :- 03-03-2017

स्थान :- सूरजपुर


NAVEED SHAUDDIN
 सूरजपुर वनमंडल सूरजपुर
 Divisional Forest Officer
 Surajpur Division, Surajpur (C.G.)